HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 16486/2026
CNR: RJHC020995492026 | URN: CRLMB / 30433U / 2026

Sageer S/o Sapat, R/o Banban, Police Station Bhiwadi, Phase-Iii, District Khairthal-Tijara, Rajasthan. (At Present Confined In Sub Jail Kishangarhbas).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Manjeet Kumar
For Respondent(s)	:	Mr. Shree Ram Dhakar, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

29/10/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत अपनी नियमित जमानत हेतु यह प्रार्थना–पत्र **पुलिस थाना–भिवाडी जिला–खैरथल तिजारा** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **263/2026** अपराध अन्तर्गत धारा 115(2), 126(2), 189(2), 117(2), 110 बी.एन.एस. में जमानत का लाभ दिए जाने की प्रार्थना के साथ पेश किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त का तर्क है कि प्रार्थी–अभियुक्त को प्रकरण में मिथ्या फंसाया गया है। उनका तर्क है कि प्रार्थी–अभियुक्त की परिवादी के साथ पूर्व से रंजिश थी, जिसके कारण उसके द्वारा यह झूंठी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रार्थी/अभियुक्त का नाम मारपीट करने वाले व्यक्तियों के रूप में अंकित नहीं है तथा घटना के समय उसका केवल कार में बैठा होना अंकित है। उनका तर्क है कि आहत मुरसलीम ने अपने कथनों में प्रार्थी–अभियुक्त द्वारा लाठी–डण्डों से मारपीट करना कहा है। आहत के शरीर पर कुल

पॉच चोटें आई हैं, जिसमें से दो चोटें हाथ में अस्थिभंग की है तथा तीन अन्य चोटें साधारण प्रकृति की है। उनका तर्क है कि आहत के किसी मार्मिक अंग पर कोई चोट आना नहीं पाया गया है। आहत के शरीर पर धारदार हथियार से कोई चोट नहीं आई है। प्रार्थी–अभियुक्त दिनांक 24.9.2026 से अभिरक्षा में है। प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व के जो तीन आपराधिक प्रकरण दर्ज होना बताये गये हैं उनमें से 307 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध वाले प्रकरण में वह दोषमुक्त हो चुका है। प्रकरण के अन्वेषण एवं अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किया जाए।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रार्थी–अभियुक्त ने परिवादी पक्ष से रंजिश होने के कारण अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर आहत मुरसलीम के साथ मारपीट कारित की, जिसके परिणामस्वरूप उसके शरीर पर पांच चोटें कारित हुई, जिनमें से दो चोटें गंभीर प्रकृति की है। गंभीर अपराध है। अतः उसे जमानत का लाभ नहीं दिया जाए।

दोनों पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। प्रकरण में दर्ज करवाई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रार्थी/अभियुक्त का नाम मारपीट करने वाले व्यक्तियों के रूप में अंकित नहीं है। इसमें प्रार्थी–अभियुक्त का घटना के समय केवल कार में बैठा होना अंकित है। आहत मुरसलीम ने भी अपने कथनों में प्रार्थी–अभियुक्त द्वारा लाठी–डण्डों से मारपीट करना कहा है। आहत के शरीर पर कुल पॉच चोटें आई हैं, जिसमें से दो चोटें हाथ में अस्थिभंग की है तथा तीन अन्य चोटें साधारण प्रकृति की होना प्रतिवेदित हुई हैं। आहत के किसी मार्मिक अंग पर कोई चोट आना नहीं पाया गया है तथा उसके शरीर पर धारदार हथियार से कोई चोट आना प्रतिवेदित नहीं हुआ है। प्रार्थी–अभियुक्त दिनांक 24.9.2026 से अभिरक्षा में है। प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व के जो तीन आपराधिक प्रकरण दर्ज होना बताये गये हैं उनमें से 307 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध वाले प्रकरण में वह दोषमुक्त हो चुका है। प्रकरण के अन्वेषण एवं अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए एवं विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत तर्कों के प्रकाश में, इस

स्तर पर मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त इस मामले में योग्य विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु एक लाख रूपये का बन्ध–पत्र एवं पचास–पचास हजार रूपये की दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो उसे जमानत पर मुक्त कर दिया जाए।

(SHUBHA MEHTA),J

67/JITENDRA SINGH PANWAR